

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एस-61/2018/

दिनांक:-

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.14 (1) एफ.डी(नियम)/2013-II दिनांक 28.06.2013 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित नर्स-2 जिन्होंने 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम व पद	सम्बन्धित अधिकारी	प्रथम नियुक्ति तिथि व पद	वर्तमान पद पर नियुक्ति तिथि व पद	दिनांक व पूर्ण सेवावधि	देय वेतन श्रंखला/ पे बेन्ड	देय वेतन / पे ग्रेड
1	शशिबाला शर्मा नर्स-2	जोधपुर	24.01.90 प्रसाविका	11.08.09 ग्रामीण नर्स-2	24.01.17 27 वर्ष	9300-34800	4800

नोट:- उक्त कर्मिका के यदि दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी सन्तान हुई है तो यह आदेश इन पर लागू नहीं होगा।

-Sc-

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एस-61/2018/ 932

दिनांक:- 9-7-2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- Reg-1. अधीक्षक, मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर को भेजकर लेख है कि कर्मिका का सेवाभिलेख (सेवा पुस्तिका मूल बाइन्डेड-एक एवं निजी पत्रावली एक) पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाया जा रहा है, प्राप्ति रसीद भिजवाने का श्रम करावें।
- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
 - प्रभारी सर्वर रूम को उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
 - आदेश/निजी पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर